

सूचना का अधिकार (एक्ट - 2005)

RIGHT TO GET INFORMATION ACT-2005

दिनांक: 10 मार्च, 2022

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई)
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नम्बर-1, नॉलेज पार्क-04, ग्रेटर नौएडा सिटी,
ग्रेटर नौएडा-201308
जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

विषय : अपीलेंट ऑथोरिटी के समक्ष आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील करने के संबंध में।

मान्यवर महोदय/महोदया,

दिनांक 25 जनवरी, 2022 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के मांगी गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न) लेकिन एक महीने के उपरांत भी आपके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जबाव यथाशीघ्र दें।

धन्यवाद।

भवदीय

Vijay Kumar

(Vijay Kumar)

Personal Assistant

Maulana Azad Medical College,
Bahadur Shah Zafar Marg,
Planning Branch, Room No.109,
New Delhi-110002
Mb: 9868115707

REF no-3465
GM (PLG)

संलग्नक : यथोक्त

15/3/22

RTI-20259

PLG

AA. GM Planning

A
15/3/22